UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal : **Research Paper**

Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 141-143

ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Violence against Women in India : A Bird Eye View

There is an alarming increase in violence against women in India. The probable reasons that may be cited for this plight are traditional perspective of looking at women, lack of awareness of Laws and order, societal pressure, personal inhibition, bureaucratic delay, taboos related to open discussion of the issues which results in perpetuating the shameful condition in Indian society. The National Policy for Women, 2016 comes with a guarantee of some change in present status of women in Indian Society. The degraded status of women in Indian society results in low work participation of women. Violence against women in public spaces creates negativity amongst women to be reluctant to engage them in economic activities. Policy makers should think about the available workforce of women that is neglected but have potential for economic contribution. Human Development Index indicates that women are facing problems of legal rights, violence, social and economic discrimination of last decade in India. But there is a scope to change the things in the positive direction for the overall development of fair sex. Women have potential as productive workforce and can exercise their power in contributing the development process. It can be possible only when women will be envisaged as a socially inclusive right provided by the Indian constitution. Violence against women is big hurdle to sustainable development and results in a remarkable economic loss to the society. Insecure condition of women results in low productivity, less participation in education and employment.

Key Words : Violence against women, National Policy for women, equality.

DR. RENU A. TIWARI

Introduction :

In the last 15-16 years, we can observe different changes in the status of women after the formulation of the National policy for the empowerment of women (NPEW) policy. Which is formulated in 2001 for a comprehensive progressive advancement development and empowerment of women. Human Development Index indicates that women are facing problems of legal rights, violence, social and economic discrimination of last decade in India. But there is a scope to change the things in the positive direction for the overall development of fair sex. Women have potential as productive workforce and can exercise their power in contributing the development process. It can be possible only when women will be envisaged as a socially inclusive right provided by the Indian constitution. Particularly in Indian Society, we can across many examples in rural areas where the prominent administrative position in Panchayts are normally bestowed on female candidates (exploiting the opportunity of reservation or quota); whereas the male member virtually enjoys the power and privilege. In such scenario, although women are apparently an inclusive entity in social and political hierarchy, in reality they are just the dummy representatives. National Policy for Women comes with an assurance of getting rid of all these façade of empowered women and focuses on developing a firm ground for the half of our population. It guarantees the fair sex with the potential to exercise their rights and power.

National policy for women has a vision of a society where women are capable of exercising their rights and where women can attain their full potential and are able to participate as equal partners in all spheres of life and influence the process of social change. This vision hints at ensuring equal rights and opportunities for women in the society. At one hand, we find that Indian constitution conveys equality and rights of women in its preamble on the other hand the evils in the form of sex selective termination of pregnancy, denial of education, forced marriage, sexual harassment at home, public spaces and workplaces, women trafficking are still continued. The reason behind all these sensitive problems is traditional practices, such as the preference for male children, gender inequalities that make Indian women increasingly vulnerable. Ignorance of female children affects their health, education, economic opportunities as well as on their right to choose their partners. As compared to the actual happenings only a

Assistant Professor and Head (Department of Economics), S. K. Porwal College of Arts, Commerce & Science, Kamptee, Nagpur (Maharashtra)

few cases of violence against women are reported and out of them some are prosecuted and accused are punished.

Keeping this gruesome condition in mind, it was felt necessary to study in detail the issues related to violence against women and analyze the impact of violence on the general economic status of the women folk. An attempt will be made to study the prospect of safe future for women after the implementation of social protection policies.

Violence against women in India :

National Crime Records Bureau defines crime against women as "The crimes which are directed particularly against women is characterized as crime against women." (Govt. of India, Ministry of Home Affairs, 2015, p. p.83)

The government of India is trying to eliminate violence against women through number of schemes, policies laws and programs. But still the condition is like one in three women aged 15-49 experience some form of physical or sexual violence during her lifetime. World Health Organization (WHO) categorized violence against women into five stages.

Table : Crime Head-wise Cases Registered under Crime against Women

Sl. No.	Crime Head	Year					% variation in 2015 0ver 2014
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Rape#	24,206	24,923	33,707	36,735	34,651	-5.7
2	Attempt to Commit Rape*	-	-	-	4232	4434	4.8
3	Kidnapping & Abduction of Women	35,565	38,262	51,881	57,311	59,277	3.4
4	Dowry Deaths	86,18	8233	8083	8455	7634	-9.7
5	Assault on Women with Internet o Outrage her /their Modesty	42,968	45351	70,739	82,235	82,422	0.2
6	Insult to the Modesty of Women	8570	9173	12,589	9735	8685	-10.8
7	Cruelty by Husband or His Relatives	99,135	106527	11,8866	12,2877	11,3403	-7.7
8	Importation of Girl from Foreign Country	80	59	31	13	06	-53.8
9	Abetment of Suicide of Women	-	-	-	3734	4060	8.7
A	Total IPC Crime against women	**2,191,42**	**232528**	**295896**	**355327**	**314575**	**-3.3**
10	Commission of Sati Prevention Act	0	0	0	0	0	0
11	Indecent Representation of Women (P) Act	453	141	362	47	40	-14.9
12	The Dowery Prohibition Act	6619	9038	10,709	10,050	9894	-1.5
13	Protection of Women from Domestic Violence Act	-	-	-	426	461	8.2
14	Immoral Traffic (Prevention) Act	2436	2563	2579	2070#	2424	17.1
B	**Total SLL Crime against women**	**9508**	**11,742**	**13,650**	**12,593**	**12,819**	**1.8**
	Total (A+B)	**22,8650**	**244270**	**309546**	**377922**	**327394**	**-3.1**

'*'Newly included crime head ;'#' exclude child Rapes under section 4 and 6 of Protection of sexual offence Act 2012. (Govt. of India Ministry of Home Affairs, 2015, p. p.83)

Forms of violence experienced by women throughout their lifespan (5)

Phase	Type of Violence Present
Pre-birth	Sex-selective ,abortion, battering during pregnancy, coerced pregnancy
Infancy	Female infanticide, emotional and physical abuse differential access to food and medical care.
Girlhood	Child marriage, genital mutilation, sexual abuse by family members and strangers, differential access to food and medical care and education.
Adolescence	Violence during courtship, economically coerced sex (e.g. for school fees),sexual abuse in the workplace, rape, sexual harassment, arranged marriage, trafficking.
Reproductive Age	Physical psychological and sexual abuse by intimate male partners and relatives, forced pregnancies by partner, sexual abuse in the workplace, sexual harassment, rape, abuse of widows, including property grabbing, and sexual cleansing practices.
Elderly	Abuse of widows including property grabbing, accusations of witchcraft, physical and psychological violence by younger family members, differential access to food and medical care.

(Kalaiyrasi, Feb 2015, p. p.53)

The crimes which are directed particularly against women are characterized as 'crime against women'. Main categories of crime against women are -Crime Heads under the Indian Penal Code (IPC) and Crime Heads Under the Special and Local Laws (SLL).

The above table shows that there is an alarming increase in violence against women in India. The probable reasons that may be cited for this plight are traditional perspective of looking at women, lack of awareness of Laws and order, societal pressure, personal inhibition, bureaucratic delay, taboos related to open discussion of the issues which results in perpetuating the shameful condition in Indian society. The National Policy for Women, 2016 comes with a guarantee of some change in present status of women in Indian Society.

Impact of Violence against Women on Indian Economy:

According to the National Sample Survey Office (NSSO) only 25% of rural women and 17% of urban women were employed on a regular basis in 2011-12.

The degraded status of women in Indian society results in low work participation of women. Violence against women in public spaces creates negativity amongst women to be reluctant to engage them in economic activities. Policy makers should think about the available workforce of women that is neglected but have potential for economic contribution.

Violence against women generates huge economic costs for women and societies. For example the affected woman form an incident of domestic violence would get leave from work and get less salary on that time. In India domestic and intimate partner's violence cause more deaths than civil wars.

These are the steps taken in Draft of National Policy for women 2016 for eliminate violence against women :

(1) Efforts to improve child sex ratio by pre-conception and pre Natal Diagnostic techniques (PCPNDT) Act,1994. **(2)** Advocacy through awareness by involving communities and the stakeholders for valuing the girl child. **(3)** Existing legislation and schemes related to trafficking of women will be strengthened. **(4)** Judiciary, law enforcement, panchayats will be undertaken to prevent violence and sexual exploitation of differently abled girls and women. **(5)** For speedy and time bound trial of crimes against women will be ensured by strict monitoring. **(6)** Judicial position across the board will increased. **(7)** National Legal Services Authority (NLSA), District Legal Service Agency(DLSA), National Commission for women and Ministry of women and child development will be strengthened for providing affordable access of justice to women. **(8)** Data systems will be made streamline for violence against women. **(9)** Awareness generation programme including men and boys will be undertaken. **(10)** Gender specific training on the specific laws for women will be undertaken.

(Govt. of India Ministry of Women and Child Development, May,2016, pp. 12-13)

This draft policy was made public by the Ministry of Women and Child Development (MWCD) on May 17, with the promise of "re-scripting" women's empowerment by following a "socially inclusive rights-based approach." Draft Minister Maneka Gandhi highly advocated the new policy throwing some light on its approach. .She stated :

Since 2001, when the last National Policy for Empowerment of Women was formulated, the concept of women empowerment has seen changes, from being recipients of welfare benefits to the need to engage them in the development process, welfare with a heavy dose of rights. This draft policy has tried to address this shift. It will define the government's action on women in the next 15-20 years. She also said, "Though we formulated it after consulting a lot of women from diverse backgrounds and tried to address issues of single, divorced, widowed women, women who work from home to those who go to office, we invite comments from all stakeholders and the public to make it an even more refined policy." (Sangeeta Barooah Pisharoty,the Wire, 2016).

Conclusion :

Violence against women is big hurdle to sustainable development and results in a remarkable economic loss to the society. Insecure condition of women results in low productivity, less participation in education and employment. Nearly 50% women are unskilled, hence their resources are underutilized. Indian economy needs skilled labour force for development. If we ensure a safe environment to women then only there can be some hope of overall development of the nation. There is a need of economically empowered women in India for steady source of consumption demand. Increasing participation of women in the economy can support both the sides of demand and supply. By adding skilled women labour in the existing size of the workforce, promoting division of labor and specialization, we can help in the supply side and by generating additional demand for a range of products and services.

In this social scenario, when the nation's economy is undergoing a phase of transition, the Social Protection Policies have come with rays of hopes. It has a huge potential for alleviating the position of the half of the population in India. Some of its agendas like improving the sex ratio, advocating the need for valuing the girl child and protection policies for differently abled girl child require a strong social support. Government's movement of "Beti Bachao, Beti Padhao" is an example of its practical implementation in the nation. The agendas that are prompted on the principle of close monitoring system like the bodies like NLSA, DLSA and National Commission for Women etc. are highly appreciable. These policies have the potential to reshape women's position by ensuring women's property rights and increase their economic opportunities in the public and private sector. Social protection policies on violence against women can be effectively implemented to empower women-folk through proper awareness among the women in India.

On the advent of a new era for Indian women, we can rightly quote the famous statement by Don Easton, "As a part of the healing process, change your perception of yourself from "Victim" to that of "Advocate" and "Survivor".(Easton)

<u>References</u> :

(1) *Easton, D. (n.d.). goodreads. Retrieved August 20, 2017, from https://godreads.com/quotes/tag/violence-against-women*
(2) *Govt. of India Ministry of Home Affairs. (2015). Crime in India 2015 Compendium. New Delhi: Ministry of Home Affairs.*
(3) *Govt. of India Ministry of Women and Child Development. (May,2016). National Policy for Women Draft 2016. New Delhi: Govt. of India Ministry of Women and Child Development.*
(4) *Govt. of India, Ministry of Home Affairs. (2015). Crime in India 2015. Compendium. New Delhi: National Crime Records Bureau.*
(5) *Kalaiyrasi, M. R. (Feb 2015). Violence Against Women in India. IOSR Journal of Humanities and Social Sciences , 20 (2), 53.*
(6) *Sangeeta Barooah Pisharoty,the Wire. (2016, 05 18). Modi Govt's New Draft National Policy for Women Promises "Re-Scripting" of Empowerment. Retrieved 08 21, 2017, from https://thewire.in/37036/modi-govts-new-draft-national-policy-for-women-promises-re-scripting-of-empowerment/*

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 144-145
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

त्यौहार और आनन्द

प्रस्तुत शोधपत्र भारत के त्यौहार और उनसे प्राप्त आनन्द के अध्ययन से सम्बंधित है। भारत के त्यौहार, पर्व मनुष्य के भावनात्मक विकास में सदैव सहभागी रहे हैं। ये त्यौहार करुणा, दया, सरलता, आतिथ्य सत्कार, पारस्परिक प्रेम एवं सद्भावना तथा परोपकार जैसे नैतिक गुणों का मनुष्य में विकास करते हैं। इन्हीं नैतिक मूल्यों की अवधारणा से मनुष्य को चारित्रिक अथवा भावनात्मक बल प्राप्त होता है। ये त्यौहार मनुष्य के जीवन को हर्षोल्लास से भर देते हैं। इन त्यौहारों से उसके जीवन की नीरसता समाप्त होती है तथा उसमें एक नवीनता व सरसता का संचार होता है। त्यौहारों के आगमन से पूर्व ही मनुष्य की उत्कंठा व उत्साह उसमें एक सकारात्मक व सुखद परिवर्तन लाना प्रारंभ कर देते हैं। वह संपूर्ण आलस्य व नीरसता को त्याग कर पूरे उत्साह के साथ त्यौहारों की तैयारी व प्रतीक्षा करता है।

डॉ.तृप्तिबाला एम.शुक्ला

प्रस्तावना :

जीवन एक उत्सव है। यह हर दिन होता रहना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ–साथ यह उल्लास और बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उत्सव का बाहर से कोई मतलब नहीं होता, न ही इसमें त्यौहार का इंतजार करना होता है। असल में यह हमारे अंदर घटित होता है। यह हमारे मन की उच्च अवस्था है, जहाँ उमंग ही उमंग है। यह उत्सव जीवन भर तभी रह पाएगा, जब जिंदगी में आध्यात्मिकता होगी। अगर ऐसा नहीं है, तो जीवन नीरस होने लगेगा। अगर किसी वजह से उत्सव हुआ भी तो वह क्षणिक होगा। नीरसता का सबसे बड़ा कारण है मन की चंचलता क्योंकि मन रोज बदलती इच्छाओं के कारण भटकता रहता है।

त्यौहार मनाने का कारण : आमतौर पर इंसान खुश कम और दुखी ज्यादा रहता है, क्योंकि मन जीवन में घटी सुखद घटनाओं को जल्दी भूल जाता है और दुखद घटनाओं पर अटका रहता है, जिससे जीवन में नीरसता आ जाती है। इस नीरसता को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने कुछ–कुछ समय बाद धर्म के साथ उत्सव को जोड़ दिया, जिससे परेशान मन खुश हो जाए। ऐसा देखा भी जाता है कि त्यौहार आने से पहले मन खुश होने लगता है और जाने के कुछ दिन बाद तक उस खुशी का अहसास बना रहता है। कुछ समय बाद फिर से एक त्यौहार आ जाता है।

देखा जाए तो आज की भागमभाग की जिंदगी में इन्हीं त्यौहारों के कारण पूरा परिवार इकट्ठा होकर खुशियाँ मनाता है। अगर ये त्यौहार न होते तो जीवन एक जैसा हो जाता। त्यौहार मनाने के लिए ज्यादा पैसों की नहीं, बल्कि एक–दूसरे के प्रति प्रेम की जरुरत होती है। वैसे, हमारा मकसद यह होना चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें। इसके लिए जरुरत है सत्संग द्वारा जीवन को उत्सवमय बनाने की।

विविध त्यौहार : नैतिक मूल्यों के साथ–साथ त्यौहारों को मनाने से जो खुशियाँ मिलती हैं, आज के तनावग्रस्त माहौल में उसका महत्व भी कम नहीं है। भारत को यदि त्यौहारों का देश कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस देश में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोग निवास करते हैं तथा किसी न किसी धर्म या संप्रदाय से संबंद्ध त्यौहारों का क्रम यहाँ चलता ही रहता है।

हमारे भारतीय त्यौहारों का स्वरुप भिन्न है। इन्हें मनाने की विधियाँ अलग हैं परंतु इन सभी त्यौहारों का मूल एक है। यही हमारी भारतीय संस्कृति का भी मूल है, जो समस्त भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोए रखता है। सभी त्यौहार लोगों को उत्साह, खुशी व भाई–चारे का संदेश देते हैं। वर्तमान में हमारे क्षेत्रीय त्यौहार भी जब राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने लगे हैं तो इन त्यौहारों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

(1) पारंपरिक त्यौहार : भारतीय त्यौहार प्रायः ऋतु चक्र के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। सभी त्यौहार जनमानस के लिए खुशियाँ, उल्लास व उत्साह प्रदान करते हैं तथा ये त्यौहार स्वयं में एक विशेष संदेश भी समाहित किए होते हैं। जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार भाई–बहन के प्रेम की प्रगाढ़ता को दर्शाता है और आजीवन बहन की रक्षा के लिए भाई वचन लेता है।

हर्षोल्लास से परिपूरित 'विजयादशमी' का त्यौहार हमारी गौरवशाली पौराणिक गाथा को दोहराता है जिसमें भगवान राम ने राक्षसराज रावण का वध कर धरती पर से पाप का नाश करने की चेष्टा की थी। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इसी प्रकार हर तरफ जगमगाते दीयों से रौशन त्यौहार 'दीपावली' हर एक के दिलों में उत्साह और खुशी लाता है जिसमें दुश्मन भी अपने पुराने झगड़े भूलकर नया मैत्रीपूर्ण जीवन प्रारंभ करते हैं।

कभी हिंदुओं की नवरात्री होती है, तो कभी सिक्खों की

''तथास्तु'', लाल बहादुर शास्त्री सोसायटी, गोधरा रोड़, पिपलोद, जिला-दाहोद (गुजरात)

वैशाखी। मुसलमान कभी ईद की खुशियाँ मनाते हैं तो कभी ईसाई क्रिसमस के अवसर पर चर्च में प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। ये त्यौहार मनुष्य की नीरस दिनचर्या में सुख का अरुण प्रभात लेकर आते हैं।

भारत के त्यौहार देश की संस्कृति की महानता उजागर करते हैं, ये त्यौहार हमारा गौरव है। विभिन्न जातियों, भाषाओं, प्रांतों व भिन्न–भिन्न संप्रदायों के विभिन्न रंगों को एकाकार करने में हमारे त्यौहार सदैव की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विभिन्नताओं के इस देश में होने वाले त्यौहारों का स्वरुप भी भिन्न है। कुछ त्यौहारों का स्वरुप इतना व्यापक है कि इसमें देश के अधिकांश लोग भाग लेते हैं, वहीं कुछ त्यौहार क्षेत्रीय होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं, जैसे – बिहार का छठ, पंजाब की बैशाखी या तमिलनाडु का पोंगल।

भारत के त्यौहारों को देखकर कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि इस देश की संस्कृति कृषि प्रधान है तथा यहाँ की सांस्कृतिक जड़े बड़ी गहरी हैं, लेकिन आजकल पढ़े–लिखे समाज में त्यौहारों को लेकर कम उत्साह दिखाई देता है।

(2) राष्ट्रीय त्यौहार : भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों, वेश–भूषा व विभिन्न संप्रदाओं के लोग निवास करते हैं। इनके त्यौहार भी भिन्न–भिन्न हैं। ये त्यौहार इनके जीवन में नई खुशियाँ व नवचेतना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन त्यौहारों के अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व गाँधी जयंती राष्ट्रीय पर्व हैं जिन्हें पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर मनाता है।

स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष अगस्त माह की पंद्रहवीं तिथि को मनाया जाता है। 15 अगस्त की तिथि सभी भारतवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन शताब्दियों लंबे अंग्रेजी दासत्व के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इस दिन सत्ता की बागडोर हमने स्वयं सँभाली थी और ऐतिहासिक लाल किले पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया था।

यह स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के भागीरथ प्रयासों व अनेक महान नेताओं तथा देशभक्तों के बलिदानों की गाथा है। यह स्वतंत्रता इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को आजादी बंदूकों, तोपों से नहीं, अपितु गाँधी जी के महान आदर्शों, सत्य व अहिंसा के पथ पर चलकर प्राप्त हुई।

15 अगस्त की भाँति 26 जनवरी अर्थात् 'गणतंत्र दिवस' भी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी 1950 ई. को हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसी दिन हमारा राष्ट्र पूर्ण स्वायत गणतांत्रिक राज्य बना, अर्थात भारत को संपूर्ण प्रभुसत्त संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस हमें 26 जनवरी 1930 ई. का स्मरण कराती है क्योंकि इसी दिन नेहरु जी की अध्यक्षत में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।

त्यौहारों का महत्व : हमारा देश अनेकता में एकता का अद्भुत संगम है। यहाँ अनेक धर्म, भाषा, जाति व संप्रदाय के लोग इस प्रकार रहते हैं, जैसे विभिन्न रंगों के पुष्पों को एक माला में पिरो दिया गया हो। हर एक धर्म, जाति अथवा संप्रदाय की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, जो भिन्न–भिन्न त्यौहारों के माध्यम से प्रकट होती है। इन विभिन्नताओं को एकाकार करने में इन त्यौहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में जितनी जातियाँ व संप्रदाय हैं, उतने ही अनुपात में यह त्यौहार भी मनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, साल भर यहाँ त्यौहारों का सिलसिला चलता रहता है।

ये सभी त्यौहार स्वयं में एक विशिष्ट अर्थ व उद्देश्य लिए होते हैं, जिसके कारण इनकी महता युगों–युगों तक कायम रहती है। इन त्यौहारों के माध्यम से मनुष्य व समाज की प्रकृति एवं दशा की झलक स्पष्ट रुप से देखी जा सकती है। समाज अथवा राष्ट्र की एकता या समृद्धि की बात हो अथवा पारस्परिक मेल–मिलाप सभी में हमारे त्यौहारों का विशेष महत्व है। समय–समय पर ये विभिन्न त्यौहार मनुष्य के परस्पर भेदभाव व वैमनस्य को भुलाकर उनमें धार्मिक समन्वय व सामाजिक एकता हेतु प्रेरित करते हैं।

त्यौहारों में आनंद की प्राप्ति : आनंद एक मानसिक स्थिति है। जो भी त्यौहार मनाए जाते है उनका उद्देश्य एक सामाजिक, धार्मिक अथवा राष्ट्रीय प्रवृत्ति करना होता है, परन्तु मनुष्य बृद्धि में ओरों की अपेक्षा श्रेष्ठता रखता है। वह प्रत्येक कार्य में सुख–दुःख की अनुभूति प्राप्त करता है। हम जब त्यौहार मनाते है, तब मन में मस्तिष्क में एक भिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है जो हमें आनंदप्राप्त कराती है।

विभिन्न त्यौहारों में जैसे 'रक्षाबंधन' में भाई और बहन दोनों ही खुश रहते है, जैसे बहन राखी बांधती है तो अपने भाई से वह सुरक्षा मिलने का आनंद अनुभव करती है। 'दशहरे' पर हम रावण को मारकर हमे आनंद अनुभव होता है, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि हमने बुराई को मारा है। 'होली' रंगों से भरी होती है, हर रंग खुशी का रंग माना जाता है। दिवाली पर नये कपड़े पहनकर, नई–नई मिठाइयाँ खाकर, पटाखे जलाकर हमें आनंद आता है।

साथ में राष्ट्रीय पर्वों में 15 अगस्त, 26 जनवरी मनाते हैं, तो उस समय हमें अपने देश की आजादी एवं गणतंत्र देश का नागरिक होने का गर्व होता है। साथ–साथ इस पर्व को मनाते समय देश प्रेम के जो भाव उत्पन्न होते हैं। वह हमें बेशकिमती आनंद देते हैं।

इसलिए हर त्यौहार वह छोटा या बड़ा नहीं होता, हर त्यौहार खुशियाँ प्रदान करते हैं और वे आनंद के रुप में दिखाई देते हैं।

उपसंहार : यह सभी त्यौहार लोगों को एकता का संदेश देते हैं। यही कारण है कि लोग अपने त्यौहारों को मनाने में आनंद को प्राप्त करते ही हैं, उसी आनंद की अनुभूति उन्हें दूसरे धर्मों एवं संप्रदायों के त्यौहारों को मनाने में भी प्राप्त होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे त्यौहारों का धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आध्यात्मिक और राष्ट्रीय हर एक दृष्टि से विशेष महत्व है। हमारे त्यौहार हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारा गौरव हैं। त्यौहार सामाजिक व राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन त्यौहारों की अच्छाइयों एवं इनमें निहित उच्च आदर्शों को अपनाकर देश के नवयुवकों में उत्तम चरित्र का निर्माण किया जा सकता है।

अतः परस्पर कटुता और दुर्भावना को भुलाकर हम इन त्यौहारों को पूर्ण उल्लास व खुशी के साथ मनाएँ और सदैव प्रयास करें कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे दूसरे धर्मों के लोगों की भावनाएँ आहत होती हों। निस्संदेह परस्पर मिलकर और एक–दूसरे की अनुभूतियों को बाँटकर ही गौरवशाली भारत का निर्माण किया जा सकता है।

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal : **Research Paper**
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 146-147
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

श्रीमद् भागवत गीता और व्यवस्थापन

प्रस्तुत शोधपत्र श्रीमद् भागवत गीता में कहे गए श्लाकों के आधार पर व्यवस्थापन के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने आज के व्यवस्थापक के बारे में बताया है कि व्यवस्थापक के वर्तन-व्यवहार में पवित्रता और अहिंसा होनी चाहिए। मनुष्य व्यक्ति वर्तन-व्यवहार पर से रुचि-अरुचि व्यक्त करता है, इसलिए श्रीकृष्ण ने अच्छे वर्तन-व्यवहार को शारीरिक तप कहा है। व्यवस्थापक जैसे व्यवहार करते हैं, उसकी नोंध या अर्थघटन होते ही रहते हैं। इसलिए सब उनका अनुकरण करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि जो तप, सत्कार, सम्मान या प्रतिष्ठा पाने के लिए किया जाता है या प्रदर्शन के लिए किया जाता है, वह राजसिक तप कहलाता है। वह अस्थिर और अस्थायी होता है और जो व्यवस्थापक अपना काम कर्तव्य समझकर करता है और पूर्ण आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है, उसे सात्विक माना जाता है।

डॉ.विपुला वी. वाघेला

मानवीय क्रियाओं के संचालन हेतु प्रबन्ध की आवश्यकता होती है। प्रबन्ध का सम्बन्ध प्रणाली से होता है। मानव द्वारा जिन प्रणालियों का विकास किया जाता है, उनको निर्देशित, समन्वित तथा एकीकृत करने के लिए प्रबन्ध की आवश्यकता होती है। प्रबन्ध अर्थात् व्यवस्थापन।

हेनरी फेयोल के अनुसार, "प्रबन्ध (व्यवस्थापन) का अर्थ पूर्वानुमान लगाना है, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना तथा नियन्त्रण करना है।

व्यवस्थापन
- कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना
- नियोजन की प्रक्रिया
- उद्देश्यों का प्रतिपादन
- मूल्यांकन तथा नियन्त्रण करना
- व्यवस्था करना
- सुधार एवं विकास
- नियुक्तियाँ करना
- निर्देशन करना

गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। सत ऊपनिषदों के सार रूप गीता है। सभी आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिनिधि स्वरूप गीता है। दूसरी और व्यवस्थापन के साथ गीता का सम्बन्ध है। जिनमें श्रीकृष्ण ने जीवन का व्यवस्थापन कैसे करना चाहिए, यह दर्शाया है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों का व्यवस्थापन गीता में निहित है।

व्यवस्थापन में कर्म की भूमिका :

"ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः"

— अध्याय १८, श्लोक १८

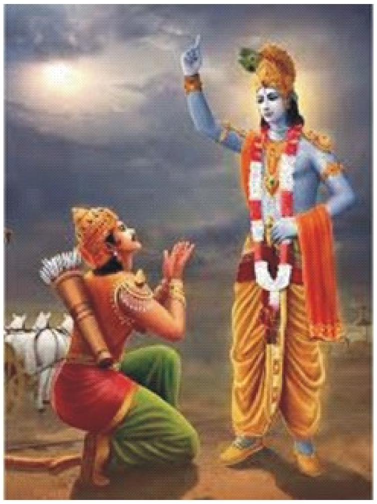

भावार्थ : ज्ञान, ज्ञान का उदेश्य और जानने वाला कर्ताय कर्म के लिए प्रेरणा इन तीन प्रकारों की होती है। साधन, कर्म और कर्ता यह तीन प्रकार का कर्म का संग्रह है।

संदर्भ : कर्म करने के लिए ज्ञान होना। ज्ञान याने की जानकारी। ये क्या है? पहले जानने की इच्छा होती और जो जानता है, वो जानकार तीनों साथ मिलते हैं, वो है कर्म।

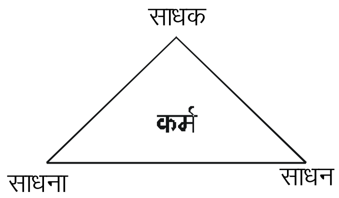

जैसे की किसान हो, जमीन हो, लेकिन खेत का ज्ञान न हो, तो खेत में खेती नहीं हो सकती। इस तरह किसान न हो, तो भी खेती नहीं हो सकती। साधक, साधना एवं साधन तीनों साथ में मिले, वो ही कर्म है।

व्यवस्थापन के संदर्भ में बताया है, कि कर्म करने की इच्छा इन तीनों के साथ संबंध रखती है, इसलिए किसी भी व्यवस्थापक के पास तीनों चीज होनी चाहिए, तभी वो सफल व्यवस्थापक बन सकता है।

श्री शारदापीठ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, द्वारका (गुजरात)

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि''

— अध्याय २, श्लोक ४७

भावार्थ : तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है। अनेक फल पर तेरा अधिकार बिलकुल नहीं है। तेरा उद्देश्य कर्म का फल कभी न हो और न अकर्म के प्रति तेरा अनुराग हो।

संदर्भ : एक व्यवस्थापक के रूप में आपको लगता है की आपके भीतर कर्म न करने की क्षमता है? चाहे कर्म करने की आपकी इच्छा हो या न हो, आप किसी न किसी रूप में कर्म कर रहे होते हैं, लोग पूरे दिन जो भी काम करते हैं, उनमें से ज्यादातर फल की इच्छा से संचालित होते हैं। श्रीकृष्ण इस श्लोक के द्धारा कह रहे हैं, कि इस तरह से जीवन व्यर्थ है, क्योंकि अगर आप परिणाम को ध्यान में रखकर कोई भी काम करते हैं, तो वह क्रियाकलाप आपका कर्म बन जाता है और आपके बंधन का कारण बनता है। दूसरी तरफ यदि आप अपने लाभ के बारे में सोचे बिना कोई काम कर रहे हैं, यानी आप उसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उसे किए जाने की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में वही क्रियाकलाप धर्म बन जाता है। यह धर्म का मतलब कर्तव्य समझा जाता है। यह धर्म का सीमित है, जब की धर्म, कर्तव्य से भी ज्यादा व्यापक अर्थ रखता है। धर्म मुक्त करता है, जब की धर्म बंधन पैदा करता है, तो कर्म तो अनिवार्य है।

इसलिए व्यवस्थापक को अपने ज्ञान, कौशल्य एवं प्रतिभा का उपयोग करके कर्म करना चाहिए, लेकिन उसे सफलता की आशा नहीं रखनी चाहिए। फल की इच्छा और आशा रखने से पहले उनको आसक्ति से दूर रहना पड़ता है।

व्यवस्थापक की सोच :

व्यवस्थापक में अच्छी सोच एवं अच्छे विचार होने चाहिए। भगवद्गीता में कहा है, कि —

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः।
भावसंशुद्धिरित्येततपो मानसमुप्यते''

— अध्याय १७, श्लोक १६

भावार्थ : मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और मन की पवित्रता यह मानसिक तप कहलाता है।

संदर्भ : भगवान श्रीकृष्ण ने बताया है की अच्छे काम करने के लिए दुःख सहना पड़े, उसका नाम तप। व्यवस्थापक हमेशा प्रसन्न रहता है।

सौम्य याने की शांत, मौन, चिंतन, आत्मनिग्रह याने की शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित एवं अहंकार सब को अपने वश में रखता है।

व्यवस्थापक मनन, चिंतन, आत्मनिग्रह एवं अंतःकरण से शुद्धिकरण करके बोलने से उनको अनेक लाभ होते हैं। अंतः करण की शुद्धि यानि की मन पवित्र रहे। कोई चीज बिगड़ जाये, तो बदबू आती है, इस तरह अंतर बिगड़ जाये, तो मन अपवित्र होता है इसके लिए ह्रदय की शुद्धि करनी चाहिए। इसलिए व्यवस्थापक अंतःकरण से पवित्र होना जरूरी है। पवित्र अंतःकरण के बिना अच्छी सोच या अच्छे विचार करना नामुमकिन है।

अच्छी बानी (वाणी) :

व्यवस्थापक की वाणी अच्छी होनी चाहिए। भगवद्गीता में कहा है, कि —

"अनुद्धेगकरं वाकयं सत्यं प्रियहितं च यत्।
स्वाध्यायाभ्यसनं यैव वाड्मयं तप उच्यते"

— अध्याय १७, श्लोक १५

भावार्थ : ऐसे शब्द बोलना, जो दूसरों को बुरे न लगे, जो सत्य हों, जो प्रिय हों, जो हितकारी हों और नियमित रूप से वेदों का पाठ—यह वाणी का तप कहलाता है।

संदर्भ : भगवान श्रीकृष्ण ने ये श्लोक के द्धारा व्यवस्थापक के संदर्भ में यह बताया है की बोलचाल की कला व्यवस्थापक की भाषा को शोभा और सम्मान दिलाते हैं। इसलिए किस विषय में तुम्हें बोलना है, किससे तुम्हें बोलना है और कैसे, और कब और कहाँ बोलना है, इन पाँच बातों का ख्याल रखना चाहिए।

इस तरह कबीर जी ने कहा है कि —

"ऐसी बानी बोलिए मन का आपा (अहं) खोय
औरन को शीतल करे आप ही शीतल होय"

व्यवस्थापक की सफलता का राज बोलचाल में ही छिपा रहता है। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में हथियार छोडकर नैराश्यवदन भाग खड़े रहने वाले अर्जुन ने भगवान की गीता अभिव्यक्ति द्धारा प्रभावित होकर कहा कि —

"है केशव ! करिष्ये तव वचनम्।"

बोलचाल का प्रभाव कितना सफल है? बाबर जैसे अनपढ़ भी अपने सैनिको को कैसे प्रोत्साहित करता था, ये पता है? इसलिए व्यवस्थापक को गीता के ये श्लोक का अनुकरण करके अपने कर्मचारी के साथ मीठी बानी, शिष्टभाषा और वाक्चातुर्य से बात करनी चाहिए।

अच्छा व्यवहार :

"देवद्धिजगुरनप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रहचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते।।''

— अध्याय १७, श्लोक १४

भावार्थ : देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और विद्धानों की पूजा, पवित्रता, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर का तप कहलाता है।

संदर्भ : भगवान श्रीकृष्ण ने आज के व्यवस्थापक के बारे में बताया है, कि व्यवस्थापक के वर्तन—व्यवहार में पवित्रता और अहिंसा होनी चाहिए। मनुष्य व्यक्ति वर्तन—व्यवहार पर से रुचि—अरुचि व्यक्त करता है, इसलिए श्रीकृष्ण ने अच्छे वर्तन—व्यवहार को "शारीरिक तप" कहा है। व्यवस्थापक जैसे व्यवहार करते हैं, उसकी नोंध या अर्थघटन होते ही रहते हैं। इसलिए सब उनका अनुकरण करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है, कि जो तप, सत्कार, सम्मान या प्रतिष्ठा पाने के लिए किया जाता है या प्रदर्शन के लिए किया जाता है, वह राजसिक तप कहलाता है। वह अस्थिर और अस्थायी होता है और जो व्यवस्थापक अपना काम कर्तव्य समझकर करता है और पूर्ण आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है, उसे सात्विक माना जाता है।

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : **Research Paper**
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 148
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण

डॉ.संतोष राजपाल नागुर

प्रकृति या पर्यावरण इस सृष्टि की अद्भुत देन है। आदि मानव से आधुनिक मानव की यात्रा में प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को सर्वथा निरोग और सदाचारी बनाया, न शरीर में कोई मलिनता थी न, आत्मा में। वह स्वस्थ और सुखी था। वह प्रकृति का भरपूर लाभ उठाता था और उसी तरह उसका देख–रेख भी करता था। पर आज वह प्रकृति का लाभ उठा तो रहा है, पर उसकी देख–रेख नहीं कर रहा है। सिर्फ उसका लाभ उठाते हुए दुरूपयोग किये जा रहा है। जिसका सीदा असर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहा है। आज कहीं एक भी तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं दिखाई देता है। धरती पर हर जगह रोग और शोक का माहौल है। जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य को रोग और दुख घेरे रहते हैं। प्रकृति या पर्यावरण से आत्मीयता, भातृत्वभाव उठ गए हैं।

प्रकृति तो आज भी हमें स्वास्थ्य का सीदा और सुगम मार्ग बताने को कुंठित नहीं है। प्रकृति की सीख पर ध्यान न देने के कारण ही मनुष्य हजारों किस्म के रोगों का शिकार बना हुआ हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है, जो हम सांस लेते हैं क्या वह हवा स्वच्छ है? हम रोज पानी पीते हैं क्या व निर्मल हैं? तरह तरह के पकवान खाते हैं, क्या वह शुद्ध है? नहीं!!! सब कुछ अशुद्ध हो चुका है। इसका कारण कौन हैं? और इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है पानी और हवा भी कोई खरीदने की चीज है? आज पानी और हवा को बाज़ारों में बेची जा रहीं है। इसका कारण हम लोगों की बेजिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति आलस्य।

जल, इस धरती पर एक अति आवश्यक वस्तु, या पदार्थ है। इस ग्रह में जीवों की उत्पत्ति जल से ही मानी जाती है। जल, जीवन का प्रतीक है। जल ही जीवन है, तो क्या हम इस जल का सही उपयोग कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकृति से मिली है, तो वह है हवा। क्या आप लोग सोच सकते हैं, कि क्या हम शुद्ध हवा के बिना जीवन जी सकेंगे? आप लोग रोज़ सुबह से शाम तक जो हवा लेते हैं, क्या वह शुद्ध है? कितने हानिकारक रासायनिक, गैस रोज़ शुद्ध हवा या वायु को नष्ट और अशुद्ध कर रही है... क्या आपको इसका अंदाजा भी है? जब इस धरती पर शुद्ध पानी और हवा ही नहीं बचा रहेगा, तो आप लोगों ने जितनी भी सुख सुविधाओं और दौलत शोहरत की चीजें कमा के रखी है, उसका क्या मतलब रहेगा?

इस संदर्भ में मुझे कविवर गेटे की कही हुई पंक्तियाँ याद आती हैं, ''हमारे हृदय में बैठा हुआ देवता बहुत मंद–मंद बोलता है, आवाज धीमी है उसकी, पर है स्पष्ट। वह देवता हमें बताता रहता है कि हम क्या ग्रहण करें और क्या नहीं।''(1) इन पंक्तियों का स्पष्ट अर्थ है कि अब हम अपनी मन की बातों को सुने और प्रकृति या पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं, ताकि आनेवाली पीढ़ी सुखी और स्वस्थ रहे। पर्यावरण की रक्षा हमारी ही ज़िम्मेदारी है। हम सब मिलकर प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, उसकी देख–रेख करें, और यह केवल एक या दो व्यक्तियों से संभव नहीं है। यह पूरे मानव समूह से संभव है। हम अपने घरों, परिवारों और स्कूल महाविद्यालयों में पर्यावरण बचाने और उसके रक्षा के हर नियम को एक दूसरे को समझाएँ और सभी नागरिक केवल नागरिक ना बन के एक जिम्मेदार नागरिक बनें। भूमि, पानी, हवा, प्राणियों और वनस्पतियों की सुरक्षा का ध्यान सबके ऊपर है। यदि पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई, प्रदूषण की मात्रा कम न की गई और जहरीले पदार्थों को पर्यावरण में इसी तरह छोडा जाता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ताजी हवा और स्वच्छ पानी मिलना मुश्किल क्या, असंभव हो जाएगा।

जिंदगी का रहस्य प्रकृति के गर्भ में है। गालिब का प्रसिद्ध शेर है, ''न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता?''(2)

अंततः यही कहा जा सकता है कि पर्यावरण आज का अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय बन चुका हैं। यह एक सवाल भी है और जवाब भी। जिसे हम सब मानव धर्म और समुदाय को समझना होगा। यदि हम आज पर्यावरण को न बचा पाये, तो आगे चलकर हमारी पीढ़ी इसका खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेगी। खासकर नगरवासियों को पर्यावरण की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। ''जो कुछ हम करते हैं, हम उसी के लिए उत्तरदायी नहीं होते, अपितु जो कुछ हम नहीं करते उसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं।(3)

<u>संदर्भ</u> :

(1) जस्ट, एडोल्फ : प्राकृतिक जीवन की ओर, सस्ता साहित्य मण्डल, पृष्ठ 12.

(2) चंदोला, प्रेमानन्द : पर्यावरण और जीव, हिमाचल पुस्तक भंडार, पृष्ठ 18.

(3) डॉ. विष्णुदत्त : पर्यावरणीय प्रदूषण, आर्य प्रकाशन मण्डल, नई दिल्ली, पृष्ठ 31.

❁❁

पोस्ट डॉक्टोरल फैलो, हिन्दी विभाग, मानसगंगोत्री, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर (कर्नाटक)